कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

पत्रांक 323 /विकास कार्य/नि0सू0/2025–26 दिनांक 11 सितम्बर, 2025

शुद्धि पत्र

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा पत्रांक 301/विकास कार्य/नि0सू0/2025–26 दिनांक 30.8.2025 के द्वारा 06 विभिन्न विकास कार्यो हेतु दिनांक 16.9.2025 तक ई–निविदा आमंत्रित की गयी थी। उक्त ई–निविदा सूचना में निम्न लिखित नियम व शर्ते संशोधित की जा रही है, के अनुसार ही फर्म/ठेकेदार द्वारा निविदा में प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। अन्य नियम एवं शर्ते यथावत है।

1– जिन ठेकेदारों/फर्मो को पूर्व से प्राधिकरण के किसी भी अनुभाग में किसी भी प्रकार के 02 विकास कार्य आवंटित हुये हो, वह कार्य अनुबंध की प्रकिया में हो अथवा गतिमान हो, वह ठेकेदार/फर्म उन 02 कार्यो को पूर्ण करने के उपरान्त ही निविदा में भाग ले पायेगा।

2–एक फर्म/ठेकेदार को एक बार में 02 ही कार्य आवंटित किये जायेंगे। 02 कार्य आवंटित होने के उपरान्त वह ठेकेदार आवंटित 02 कार्यो को पूर्ण करने के उपरान्त ही आगे निविदा में भाग लेगा।

3–किसी भी फर्म/ठेकेदार की 02 निविदा खुल जाने के उपरान्त यदि उस ठेकेदार की अन्य कार्यो में निविदा पायी जाती है तो उसे सम्मिलित नही किया जायेगा।

4–uktender.gov.in एवं mddaonline.in की वैबसाईट व दैनिक समाचार पत्र पर विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् प्राधिकरण में यदि कोई फर्म पंजीकृत होता है तो वह फर्म उपरोक्त कार्यो में प्रतिभाग नही कर पायेगा।

5–निविदा के साथ मूल रुप में एवं ऑनलाईन निविदा में निम्निलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य है :–

- निविदा वैद्यता के सम्बन्ध में, सत्यता और शुद्धता के सम्बन्ध में, लिटिगेशन की सूचना के सम्बन्ध में , निविदा समिति के निर्णय/नो क्लेम के सम्बन्ध में, no dues के सम्बन्ध में, रु0 100.00 के स्टाम्प पेपर, एवं रु0 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराईज्ड़ हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- प्रत्येक ठेकेदार को प्राधिकरण में आवंटित कार्यो/निर्माणाधीन कार्यो अथवा वर्तमान में कोई कार्य आवंटित न होने/निर्माणाधीन न होने का उल्लेख उक्त शपथ पत्र में करना अनिवार्य होगा।

6–उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 770/iii(2)17.20(सामान्य) 2011 टी0सी0 दिनांक 12.06.2017 के अनुसार विभागीय दरों से 5 प्रतिशत से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफोरमेंस सिक्योरिटी जमा करनी होगी।

7–प्राधिकरण को बिना कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा।

8–ई–निविदा में प्रतिभाग करने में दूरसंचार एवं निविदा को वेबसाईट पर तकनीकी खराबी आदि से निविदादाता को होने वाली कठिनाईयों हेतु प्राधिकरण जिम्मदेार नही होगा।

अधिशासी अभियन्ता,
म.दे.वि.प्रा. दे.दून।